# झारखण्ड सरकार
# खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

## संकल्प

**विषयः– सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के प्रत्यायोजन के संबंध में।**

संविधान की धारा 243 (जी०) की शर्तों के अनुसार ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायतों को शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान किया जाना है, जो उन्हें स्वायत शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो तथा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं को तैयार करने एवं लागू करने की शक्ति प्रदान कर सकें।

2. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधानों के आलोक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कोष, कार्य और कर्मियों (Funds, Functions & Functionaries) का पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने के संबंध में विभागीय अधिसूचना 1621, दिनांक 14.05.2013 को रद्द करते हुए अग्रवत् किया जाता है–

3. **कार्य (Functions)**

I. (क) पंचायत स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी में जन वितरण प्रणाली दुकानदार से संबंधित वार्ड सदस्य/ पंचायत समिति सदस्य/ मुखिया खाद्यान्न के उतरने का सत्यापन करेंगे।

(ग) राशन कार्ड के समावेशन/अपवर्जन के लिए ग्राम पंचायत के द्वारा अनुशंसा की जा सकेगी। जन वितरण प्रणाली की नई दुकान ग्राम पंचायत के अनुशंसा पर ही दी जायेगी। ग्राम पंचायतें विभिन्न खाद्यान्नों का सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अधिप्राप्ति में अधिप्राप्ति एजेन्सियों को अपना सहयोग देगी।

(घ) दुकान स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/पणन पदाधिकारी/प्रखण्ड स्तरीय समिति को अपनी अनुशंसा भेजेगी।

II. (क) प्रखण्ड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) अपने क्षेत्र अन्तर्गत पंचायतों द्वारा राशन कार्डो के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य पर पंचायत समिति निगरानी रखेगी।

(घ) पंचायत समिति अधिप्राप्ति के मामले में ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन ग्राम पंचायतों को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ङ) प्रखण्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/जिला स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

III. (क) जिला स्तर पर जन वितरण प्रणाली के अन्तर्गत नियमानुसार आवश्यक वस्तुओं के वितरण का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण, जिला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ख) डोर स्टेप डिलिवरी द्वारा खाद्यान्न का उठाव का अनुश्रवण तथा जन वितरण प्रणाली दुकान एवं अभिलेखों का निरीक्षण किया जायेगा।

(ग) प्रखण्ड स्तर पर राशन कार्डों के पुनरीक्षण एवं नये कार्ड बनाने के कार्य का जिला परिषद् द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जायेगी।

(घ) जिला परिषद् अधिप्राप्ति के मामले में पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायतों द्वारा की गई कार्रवाई का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करेगी एवं इस संबंध में इन दोनों संस्थाओं को सामान्य निर्देश जारी कर सकेगी।

(ड.) जिला स्तर पर गठित सतर्कता समिति जन वितरण प्रणाली दुकानों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तथा समुचित वितरण का अनुश्रवण तथा इससे संबंधित अन्य मामलों की समीक्षा कर संबंधित उपायुक्त/राज्य स्तरीय सतर्कता समिति को आवश्यक कार्रवाई हेतु अपनी अनुशंसा भेजेगी।

4. **कार्मिक (Functionares) :-**

I. प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पंचायत समिति की बैठकों में भाग लेंगे तथा पंचायत समिति द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

II. जिला आपूर्ति पदाधिकारी जिला परिषद् की बैठकों में भाग लेंगे तथा जिला परिषद् द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराऐंगे एवं उपर्युक्त कार्यों से संबंधित निर्देश के आलोक में नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।

5. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों द्वारा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं यथा मुख्यमंत्री दाल–भात योजना, खाद्यान्न वितरण योजना, किरासन तेल वितरण योजना आदि का पर्यवेक्षण किया जा सकता है।

उपरोक्त के संलेख पर मंत्रिपरिषद की दिनांक 22.09.2015 की बैठक के मद संख्या–04 में स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विनय कुमार चौबे)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०आ०प्र० (विविध)–05/2013 4868 /राँची, दिनांक– 07/10/2015

**प्रतिलिपि**–महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड के कोषांग/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड/सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी उप निदेशक (खाद्य)/सभी जिला अपर दण्डाधिकारी (आपूर्ति)/सभी विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/ माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सभी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम/सभी पदाधिकारी, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक– खा०आ०प्र० (विविध)–05/2013 /राँची, दिनांक–

**प्रतिलिपि**– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना को सार्वजनिक जानकारी हेतु झारखण्ड गजट के असाधारण अंक में मुद्रित किया जाय। अधिसूचना को मुद्रित कर 200 प्रतियों में विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के सचिव।